

प्रतिलिपि :- यह आदेश, आदेश पत्रिका में जो कि न्यायालय वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट शृंखला न्यायालय बैहर द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र क्रमांक-बी.ए. 21/2018, धारा 439 दं.प्र.सं. के संदर्भ में आज दिनांक 25.04.2018 को पारित किया गया, जिसके पक्षकार निम्नानुसार है :-

- 1- अजय उइके उम्र 28 वर्ष पिता रेखलाल उइके जाति गोंड
- 2- नेमीचंद बिसेन उम्र 37 वर्ष पिता श्री भुवन बिसेन जाति पंवार दोनों निवासी-उमरिया थाना रूपझर तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट म0प्र0

- - - आवेदकगण।

// **विरुद्ध** //

म.प्र.शासन द्वारा :-वन परिक्षेत्र अधिकारी लौगुर सामान्य तहसील परसवाड़ा जिला-बालाघाट

- - - - अनावेदक।

- -0- -

{आदेश दिनांक 26/04/2018 की प्रतिलिपि}

आवेदकगण द्वारा श्री डी0आर0 बिसेन अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

जमानत आवेदन पत्र मय केस डायरी एवं प्रतिवेदन के प्राप्त।

प्रथम जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदकगण की ओर से श्री डी.आर. बिसेन अधिवक्ता ने तर्क कर निवेदन किया कि आवेदकगण निर्दोष है। अपराध से अनभिज्ञ है, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। तथाकथित घटना से कोई वस्तु प्राप्त या जप्त नहीं हुई है, न ही फंदा लगाकर वन्य प्राणी को मारा गया है, आवेदकगण शर्तों का पालन करेंगे, इसी जिले के स्थायी निवासी है। आवेदकगण का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के न्यायालय में आवेदन विचाराधीन या लंबित नहीं है, आवेदन स्वीकार किए जाने की याचना की है।

राज्य/अनावेदक की ओर से श्री अभिजीत बापट अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र पर विरोध जाहिर कर निरस्त किए जाने की याचना की।

उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। केस डायरी का अध्ययन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदकगण के विरुद्ध वन परिक्षेत्र लौगुर के वन अपराध क्रमांक 128/3188 दिनांक 22.04.2018 धारा 39, 51 वन्य प्राणी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदकगण को संरक्षित वनक्षेत्र में वन्य प्राणी के शिकार हेतु तार लगाने के संदेह के तहत गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 23.04.18 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। यह प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य है। अतः इस न्यायालय की कठोर शर्तों के तहत जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः आवेदकगण की ओर से पेश प्रथम जमानत आवेदन पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है कि—

- 1— आवेदकगण प्रत्येक पेशी तारीख पर प्रातः 11 बजे उपस्थिति रहकर विचारण में सहयोग करेंगे।
- 2— आवेदकगण साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे।
- 3— आवेदकगण वन अपराध से संबंधित मामले में संलिप्त नहीं रहेंगे कि शर्त के साथ यदि प्रत्येक आवेदक 50,000—50,000 (पचास—पचास) हजार रूपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का अपना—अपना बंधपत्र विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य पेश करे तो रिहाई आदेश जारी हो।

आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय की ओर पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश की एक प्रति वन परिक्षेत्र अधिकारी लौगुर सामान्य को केस डायरी के साथ संलग्न कर सूचनार्थ भेजी जावे।

परिणाम दर्ज कर, क्रमांक से निरस्त कर, अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

सही /—

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि :

- 1— न्यायालय न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर की ओर एक प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 2— वन परिक्षेत्र सामान्य परिक्षेत्र लौगुर के वन अपराध क्रमांक 128/3188 दिनांक 22.04.18 की डायरी के साथ संलग्न कर सूचनार्थ।

सही /—

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर